रिश्तेदार/मित्र के प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा सही देखभार और उपचार करने का घोषणा पत्र

संबंधित व्यक्ति हेतु

मैं.....(नाम) पुत्र/पुत्री.....(पिता/माता का नाम), पता ..... कैदी ..... (कैदी का नाम) सुपुत्र ..... (पिता का नाम) जो ..... कारावास में ..... तारीख से कैद है का बहारी इलाज कराने की जिम्मेदारी लेता हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं ..... (कैदी का नाम) इस बात का ख्याल रखूंगा/गी कि वह स्वयं अथवा अन्य को हानि न पहुँचाए।

मैं कैदी ..... (कैदी का नाम) का/की .....(रिश्ते का नाम) हूं।

आवश्यकता अनुसार विवरण दें

मैं.....(सरकारी/गैर सरकारी संगठन) से संबद्ध हूं जो मानसिक रूप से बीमार कैदियों के पुनरूद्धार के लिए कार्य करती है और मैं कैदी के मित्र की हैसियत से कैदी की सही देखभाल और उपचार के कार्यभार को करने के लिए तैयार हूं।

मेरी पहचान दस्तावेज (पेन कार्ड/वोटर कार्ड/राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्रायविंग लायसेंस/अन्य) इस घोषणा पत्र के साथ संलग्न है। आवश्यक होने पर इस बावत प्रतिज्ञा पत्र भी जमा किया जाएगा।

तारीखः नामः

स्थानः पदः

सीएचआरआई के बारे में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) एक अंतरराष्ट्रीय, स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। संस्था का उद्देश्य राष्ट्रमण्डल देशों में मानव अधिकार के व्यवहारिक कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना है। व्यापक स्तर पर मानवाधिकार की वकालत के अतिरिक्त सीएचआरआई सूचना और न्याय तक लोगों की पहुंच की हिमायत भी करती है।

जेल सुधार कार्यक्रम

न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत जेल सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य पारंपरिक रूप से बंद संस्था जेल में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का उद्देश्य जेल में भीड़ को कम करना और सुनवाई पूर्व और सुनवाई के बाद अनावश्यक कैद में रहने की विवषता को कम करने के लिए कानून व्यवस्था में जिम्मेदारीबोध को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य कैदियों के लिए जेल निगरानी तंत्र और जेल समीक्षा को मजबूत कर संविधान सम्मत अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानदण्ड को लागू करवाना है।

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

55ए, तीसरा तल, सिद्धार्थ चैम्बर्स – 1
कालू सराय, नई दिल्ली – 110016
दूरभाषः +91 11 43180200 फैक्सः +91 11 26864688
ईमेलः info@humanrightsinitiative.org
वेबसाइटः www.humanrightsinitiative.org

मानसिक रूप से बीमार विचाराधीन कैदियों के लिए जमानती प्रवधान

क्या आप का मित्र या रिश्तेदार मानसिक रूप से बीमार विचाराधीन कैदी है?

सलाखों के अंदर, लेकिन न्याय से महरूम नहीं

द्वारा, मधुरिमा, जेल सुधार कार्यक्रम (सीएचआरआई)

अपने अधिकारों को जाने

एक व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार विचाराधीन कैदी माना जाएगा यदि वह :

- जांच, पूछताछ और सुनवाई के समय गिरफ्तार किया गया है,

और

- उसे जेल के मानसिक रूप से बीमार कैदियों के वार्ड में रखा गया है,

अथवा

- मनोरोग चिकित्सक/चिकित्सीय बोर्ड/संबंधित अदालत द्वारा 'सुनवाई के लिए असक्षम' करार दिया गया है।

मानसिक रूप से बीमार विचाराधीन कैदी सीआरपीसी की धारा 330 के तहत जमानत का हकदार है यदि :

- आरोपी मानसिक रूप से बीमार है, मंद बुद्धि है जिसका इलाज जेल के अंदर नहीं हो सकता,
- रिश्तेदार या मित्र की जिम्मेदारी है कि वह रोगी का,
  1. नियमित मनोरोग संबंधी इलाज करवाए

  और

  2. रोगी स्वयं को या अन्य को हानि न पहुंचाए

सीआरपीसी की धारा 330 के तहत जमानत की अर्जी दाखिल की जा सकती है :

- वकील से संपर्क कर जमानत का नया आवेदन करना
- यदि कोई वकील करने में असक्षम है तो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकता है,

या

- जेल पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख कर संबंधित जेल निरीक्षक से संपर्क कर सकता है।

धारा 330 के तहत आवेदन करने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है वे हैं :

- मनोचिकित्सक द्वारा विचाराधीन कैदी की सुनवाई में उपस्थित होने में असक्षमता का प्रमाण पत्र।
- मनोचिकित्सक का प्रमाण पत्र की कैदी को जेल में प्राप्त हो रहा इलाज पर्याप्त नहीं है।
- साथ ही मित्र या संबंधि का घोषण पत्र जिस में बाहरी इजाल की जिम्मेदारी लेने और स्वयं और अन्य को हानि न पहुंचाने का वचन हो।

सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद अदालत के पास ये विकल्प :

- दलील सुनने के बाद रिहाई का आदेश देना
- आरोपी नियमित रूप से मनोचिकित्सा से मिल सके ऐसे स्थान में रखने का आदेश देना
- यदि अदालत को आरोपी के विरुध प्रथदृश्टया सक्ष्य नहीं मिलते हैं तो धारा 328/329 के तहत रिहा करना।

नोट : यदि उपरोक्त सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो मजिस्ट्रेट ऐसे सभी मामलों में जमानत का आदेश देंगे।

मनोचिकित्सक/मनोविज्ञानी के प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा बचाव करने में असक्षमता का प्रमाण पत्र

संबंधित व्यक्ति हेतु

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमति.....(नाम) पुत्र/पुत्री.....(पिता/माता का नाम) जो तारीख..... से ..... कारावास में कैद है वह .....(रोग का नाम) से ग्रसित है और वह अदालत में बचाव करने में असक्षम है। उस पर धारा.....केस नंबर.....के तहत आरोप है जिन पर ..... अदालत में मुकदमा चल रहा है। उसका मुकदमा.....वर्षों से विचाराधीन है।

व्यक्ति के चिकीत्सीय दस्तावेज प्रमाण पत्र के साथ संलग्न हैं।

तारीखः नामः

स्थानः पदः

मनोचिकित्सक/मनोविज्ञानी के प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा

संबंधित व्यक्ति हेतु

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमति.....(नाम) पुत्र/पुत्री.....(पिता/माता का नाम) जो तारीख.....से .....कारावास में कैद है और .....(रोग का नाम) से ग्रसित है और उसे जेल में प्राप्त इलाज पर्याप्त नहीं है।

व्यक्ति के चिकित्सीय दस्तावेज प्रमाण पत्र के साथ संलग्न हैं।

तारीखः नामः

स्थानः पदः